न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख 12.2.2021

प्रकरण संख्या :— 10/21

मोहनलाल पिता धुला जाति चमार उम्र वयस्क निवासी खेराडिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

............प्रार्थी

बनाम

प्रभु पिता मूणलाल जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी गुजरो की नूण लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 — 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :— दिनांकः 12.2.2021

प्रार्थना पत्र मोहनलाल पिता धुला जाति चमार उम्र वयस्क निवासी खेराडिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0) ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफुल धाकड एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हमारे एकल/संयुक्त खाते भूमि कि **मौजा ग्राम भोपतपुरा पटवार हल्का भोपतपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 270 पर अंकित आराजी संख्या 812/314 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि** पर विपक्षी आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075—2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू—अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां कलां** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/— रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर कि **मौजा ग्राम भोपतपुरा पटवार हल्का भोपतपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 270 पर अंकित आराजी संख्या 812/314 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/— रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ